File No. 12/26/2023-VVP
Government of India
Ministry of Home Affafirs
Department of Border Management
*****

Room No. 21, Heritage Building
MDC National Stadium,
New Delhi-110001,
Dated the 3rd November, 2023

To,
The Chief Secretary,
Government of Arunachal Pradesh/Himachal Pradesh/Sikkim/Uttarakhand and UT of Ladakh

Subject: - Guidelines of Vibrant Villages Programme (VVP), 2023-reg

Sir,

The undersigned is directed to refer to the subject mentioned above and to forward herewith a copy of Guidelines (Hindi & English) of Vibrant Villages Programme(VVP) 2023 approved by the Hon'ble Union Home & Cooperation Minister.

2. These guidelines will come into effect from the date of issue.

3. For kind information and necessary action please.

Yours faithfully

3/11/2023
(Pushpender Singh)
Second-in-Command (VVP)
Tel: 23070109

Copy to:
1. Secretary, Department of Expenditure, MoF, New Delhi.
2. Secretary, Department of Agriculture and Farmers welfare.
3. Secretary, Department of Agriculture Research and Education
4. Secretary, Department of North Eastern Region, New Delhi
5. Secretary, Department of Health and Family Welfare.
6. Secretary, Department of School Education and Literacy.
7. Secretary, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation.
8. Secretary, Ministry of New and Renewable energy.
9. Secretary, Ministry of Power.
10. Secretary, Department of Rural Development.
11. Secretary, Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises.
12. Secretary, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship.
13. Secretary, Ministry of Women and Child Development.
14. Secretary, Ministry of Youth Affairs and Sports
15. Chief Advisor, NITI Aayog, New Delhi.

16. Secretary, Ministry of Petroleum and Natural Gas.
17. Secretary, Ministry of Chemical and Fertilizers.
18. Secretary, Department of Telecommunications.
19. Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change.
20. Secretary, Ministry of Tourism.
21. Secretary, Ministry of Culture.
22. Secretary, Ministry of Ayush.
23. Secretary, Ministry of Information and Broadcasting.
24. Secretary, Ministry of Defense.
25. Secretary, Department of Food and Public Distribution.
26. Secretary, Ministry of Civil Aviation.
27. Secretary, Department of Animal Husbandry and Dairying.
28. Secretary, Ministry of Textiles.
29. Secretary, Ministry of Road Transport and Highways.
30. Secretary, Ministry of Food Processing Industries.
31. Secretary, Department of Land Resources.
32. Secretary, Ministry of Electronics and Information Technology.
33. AS&FA, MHA
34. DG, ITBP.
35. JS(JKL), MHA
36. JS(NE), MHA
37. JS(BM-I) MHA

Copy for information to:

1. Nodal Officers (VVP), Government of Arunachal Pradesh, Himachal Pradesh/Sikkim/Uttarakhand and UT of Ladakh.

2. PPS to HM/PPS to MoS(N)/PPS to MoS(NP)/PPS to HS/PPS to Secy(BM)/PS to JS(BM-II)/PS to Dir(VVP-I)
3. Master Folder.

Copy also to:
1. SO(IT): with the request that the Guidelines of Vibrant Villages Programme (VVP) 2023 may please be uploaded on the MHA's website.

2. Shri Deepak Kumar, Sr. Director (IT), NIC, MHA, North Block, New Delhi: for kind Information please.

3/11/2023

(Pushpender Singh)
Second-in-Command(VVP)
Tel: 23070109

F.No.12/26/2023-VVP
Government of India
Ministry of Home Affairs
Department of Border Management

*****

Vibrant Villages Programme (VVP) Guidelines: 2023

1. Objective

1.1 The objective of the Vibrant Villages Programme(VVP) is comprehensive development of the identified villages across four states and one Union Territory on the northern border, for improving the quality of life of people living there so as to encourage them staying in their native locations and reversing the out migration from these villages for adding to improvement in the security of the border.

1.2 The scheme aims to identify and develop the identified villages on northern border, as growth centres on a 'Hub and spoke Model' through promotion of entrepreneurship; empowerment of youth and women through skill development and traditional knowledge/heritage; development of sustainable eco-agri businesses through involvement of community-based Organisations, Cooperatives, Self-Help Groups, Non-Government Organisations, Agriculture Universities, Krishi Vigyan Kendras and Technical Universities of national importance.

2. Coverage

The programme shall cover the identified villages in 46 blocks in 19 districts across 4 states namely Himachal Pradesh, Arunachal Pradesh, Sikkim, Uttarakhand and one UT namely UT of Ladakh. Initially, 662 villages have been identified for development on a priority.

3. Focus Areas of Intervention: The programme will focus on the following 10 areas:

a. Economic growth – Livelihood generation
b. Road Connectivity
c. Housing & Village Infrastructure
d. Energy including renewable energy through Solar and Wind Power
e. Television & Telecom Connectivity including setting up of IT enabled Common Service Centre in the village
f. Regeneration of eco-system
g. Promotion of tourism and culture
h. Financial inclusion
i. Skill development and entrepreneurship
j. Development of Co-operative Societies for managing livelihood opportunities including agriculture/ horticulture/ cultivation of medicinal plants / herbs etc.

The programme will also focus on the saturation of Central Sector, Centrally Sponsored welfare schemes of different Ministries and State Government Schemes and also on construction of social infrastructure in the identified villages.

4. Targeted Outcomes

4.1 Development of the identified villages facing inadequate development, as growth centers through promotion of entrepreneurship, empowerment of youth and women through skill development, leveraging traditional knowledge, heritage and development of sustainable eco-agri businesses through involvement of Community-based Organisations, Cooperatives, Self-help Groups, NGOs, Agriculture Universities, Krishi Vigyan Kendra and Technical Universities of national importance.

4.2 The outcome shall include (i) rehabilitation of un-inhabited villages (ii) restoring migrated population back to earlier levels in affected villages and (iii) creation of sufficient incentives for people to stay-on in the identified villages.

5. Implementation Framework:

The State Governments/UT Administration shall nominate the respective districts Nodal Department for implementation of the scheme. The Head of the nominated Department shall act as the Nodal Officer at the State Level. An Assistant Nodal Officer shall be nominated by the nodal department. Deputy Commissioner / District Magistrates of the district will be the nodal officer at the district level.

6. District Level Committee (DLC)

6.1 A District Level Committee (DLC) on VVP shall be constituted under the Chairmanship of Deputy Commissioner / District Magistrate concerned for selection of works/projects which will be proposed by the district administration with the help of appropriate mechanisms at the Block & Gram Panchayat level. District Convergence Plan (DCP) will be prepared for the convergence of existing schemes of Central and State Government. The DLC will **propose** a comprehensive Vibrant Village Action Plan which will consist of multiple works/projects. Along with the Vibrant Village Action Plan, the Deputy Commissioner / District Magistrate shall submit the following documents to the State Level Screening Committee (SLSC):

a. Technical feasibility report duly signed by the Competent Technical Authority authenticating that the proposed design and specifications of the project, are in consonance with the existing norms of the relevant scheme and feasible to the local terrain.
b. Project wise detailed summary of the estimates mentioning all the cost components with unit price.
c. Non-overlapping certificate regarding the proposed works/projects.

6.2 The DLC shall exercise due diligence in submitting proposals to ensure that projects proposed do have an Operational and Maintenance (O&M) Plan. The proposals may be undertaken based on their impact and possibility of promoting vibrancy in sync with the objectives envisaged under the Programme.

7. State/UT Level Screening:

7.1 The State/UT shall constitute a State/UT Level Screening Committee (SLSC/UTLSC) on VVP under the Chairmanship of the Chief Secretary of the State/Administrator of UT for examination of Vibrant Village Action Plan (VVAP) constituting of multiple projects/works/proposals received from the DLC, and making suitable recommendations thereon. The State Government/UT administration shall ensure necessary representation of stakeholders including representation from Border Guarding Forces (BGFs) concerned, in the State/UT Level Screening Committee (SLSC/UTLSC). The SLSC/UTLSC shall approve and forward the Vibrant Villages Action Plans (VVAP) along with their recommendations to the Department of Border Management (DoBM), Ministry of Home Affairs. The Vibrant Village Action Plans shall be forwarded along with the following documents:

a. Project wise technical feasibility certificate by the Competent Authority.
b. Project wise detailed summary of the estimates clearly mentioning all the cost components with unit price.
c. Minutes of the meeting of SLSC Chaired by the Chief Secretary of the State/UT duly signed.

7.2 The Committee shall ensure the reasonability of rates of the projects based on design and specifications as per the extant guidelines. While recommending village action plan(s), the Committee may ascertain and ensure the impact of projects based on reasonability of the rates and provision/ plan of operations and maintenance.

8. Screening Mechanism at Ministry Level:

8.1 A Screening Committee for screening the proposals received from the States/UT shall be constituted under the Chairmanship of the Joint Secretary (BM-II), MHA. This Committee shall have representatives from concerned Ministry/Department of the Government of India as members.

8.2 The Committee shall examine the Vibrant Villages Action Plans (VVAP) submitted by the States/UT and duly recommended by their respective SLSC/UTLSC. The screening Committee shall:

a. Screen/examine the action plans and projects received from the States/UT in respect of their impact, feasibility, reasonability of the proposal operational viability, etc. and **recommend** the action plan to the Project sanctioning and monitoring Committee. Their recommendations may be based on certain criterion such as existing household, proximity to the district headquarter, potential to attract tourists and increased vibrancy, potential to create infrastructure for undertaking various activities by the communities and overall strategic importance of the village.
b. Examine the projects in consultation with the Ministries/Departments of the Government of India for **convergence** as agreed by the respective Ministries/Departments.
c. The Committee may recommend the projects with modifications (as deemed necessary) to the concerned Ministry/Department of the Government of India for taking up under their relevant scheme under convergence.

d. Recommend **suitable modifications** in the proposed plan including consolidation of civil works based on financial and operational viability.
e. Examine the proposal to avoid duplication

8.3 All projects marked under the convergence on Digital VVP, will be forwarded to the Ministries/Departments concerned for taking up under their relevant scheme. Any project that cannot be taken up by the concerned Ministry/ Department may be recommended to be taken up under the VVP. The concerned Ministry, in such cases may examine the feasibility, cost reasonability, domain technical specifications, and recommend MHA to take up such projects under the VVP.

Based on the examination, the Screening Committee shall recommend Village Action Plan to the Project Screening & Monitoring Committee, MHA (PSMC).

9. Project Screening and Monitoring Committee (PSMC)

9.1 A Project Sanctioning and Monitoring Committee shall be constituted under the Chairmanship of the *Secretary (Border Management)*. The composition of the Committee is as under: -

a) Secretary (BM) - Chairperson
b) AS&FA, MHA - Member
c) Joint Secretary (BM-I) - Member
d) Joint Secretary (BM-II) - Convenor

The Committee can Co-opt any member, as required.

9.2 The Committee shall consider and recommend:

a) Convergence plans as received from the District Level Committee.
b) Village Action Plan along with the projects to be funded under VVP.
c) Any gap funding identified, in the infrastructure, by the District/State.
d) Niche projects e.g. Eco resort, Meditation, Yoga resort and craft village, etc.

9.3 The Committee shall recommend the same with modifications (as deemed necessary) to the concerned Ministry/Department and States/UT of the Government of India for taking up under their relevant scheme.

10. High-Powered Committee:

A High-Powered Committee shall be constituted under the Chairmanship of Union Home Secretary comprising Secretary, Department of Expenditure, Ministry of Finance and Secretary of the concerned Ministry/ Department as members. The Committee may consider and relax various criteria / norms of Centrally Sponsored Schemes and Central Sector Schemes in terms of population, geography, size, income etc. as per the terms of the reference **(Annexure).**

11. Convergence Process (Role of Ministries)

11.1 Projects taken up for convergence by the respective Ministries/Departments of Government of India, shall examine these projects as per the norms of their relevant scheme and include the projects as a part of their action plan. Necessary approval/sanction shall be accorded by the competent authority based on the norms and guidelines of such scheme. The Ministries shall exercise due diligence in examining the proposals keeping in view their strategic importance and difficult geographical terrain. The Ministries may consult the district concerned for necessary clarification pertaining to the projects. Ministries/Departments shall adhere to the existing GFR Provisions.

11.2 All projects marked under the convergence, on Digital VVP will be examined by the Ministries/Departments concerned for taking up under their relevant scheme. The Ministries/Departments, in consultation with the States/Districts, may sanction or reject the projects stating specific reasons. Yet, if due to administrative reasons or any other sated reasons, these Ministries may consider recommending such projects to MHA for consideration, keeping in view the difficult terrain and harsh climatic conditions under VVP as niche projects to foster vibrancy.

12. Flow of Funds:

12.1 Funds will be released to the States/UT as per the financial guidelines/ instructions of Department of Expenditure, Ministry of Finance, Government of India, issued from time to time.

12.2 Any change is scope of project and its cost after approval by MHA shall not be entertained. In cases of time and cost overruns, the state shall be responsible for funding the gap. All subsequent projects in such cases shall adhere to the guidelines established under the headings 'Allocation of Funds' and 'Flow of Funds' in this document. However, District/States/UT are free to furnish fresh proposal.

12.3 In compliance of Department of Expenditure, Ministry of Finance's OM dated 23.03.2021, every State Government will designate a Single Nodal Agency (SNA) on Public Financial Management System (PFMS) for implementing each Centrally Sponsored Scheme (CSS). The SNA will open a Single Nodal Account for each CSS at the State level in a Scheduled Commercial Bank authorized to conduct government business by the State Government. The funds will be released to the State Government/UT through the Public Financial Management System (PFMS).

12.4 The State Governments/UT administration are required to have a separate budget head and bank accounts for the VVP. Strict compliance of extant GFR norms shall be ensured by State Government/UT administration.

12.5 The State Government shall ensure that interest/ other earnings, if any, accrued/will be accruing against the amount released so far, as well as amount to be released in future, the same (all interests/other earnings) shall be mandatorily remitted to the Consolidated Fund of India (CFI).

12.6 UT without legislature work directly in PFMS. They shall ensure that the funds are released to the vendors/beneficiaries "just in time'. In case funds are to be released to

any agency as per scheme guidelines, provision of Rule 230 (vii) of GRF 2017 shall be followed scrupulously, to avoid parking of funds with agencies.

12.7 Any supplementary funding will not be permitted.

12.8 Keeping in mind the uniqueness and difficult terrain in which the vibrant village is located, the Head load carriage may be permitted subject to the feasibility and recommendation of the Competent Technical Authority.

12.9 No direct funding will be provided for any private agencies. However, funding under the Public – Private Partnership (PPP) may be permitted under convergence schemes by the respective ministries

13. **Monitoring and Review**

13.1 The outcome of the programme will be measured at three levels i.e. (i) Village Level (ii) Household Level and (iii) Individual beneficiary Level.

13.2 For effective and focused implementation of VVP, Programme Management Unit (PMU) at different levels shall be established as per requirement viz. Centre, State, Block level. The expenditure for the PMU may be met by earmarking upto 5% of the overall budgetary allocation.

13.3 A **Mid-term review** shall be undertaken after 02 years of implementation of VVP wherein based on the progress of the scheme and subsequent outcomes so as to consider making suitable amendment in implementation framework and to provide flexibility for extending the tenure of the scheme, increasing the coverage area and enhancement of the financial resources suitably.

13.4 Action Taken Reports on the observations made by the Hon'ble Cabinet Ministers based on their visits to Vibrant Villages, activities executed by the States/UT and village profile shall be regularly updated on the Digital VVP.

13.5 The officers of various Ministries/Departments of Government of India may visit the VVP villages and submit their visit reports to MHA.

13.6 An Online Management System (OMS) i.e. **Digital VVP** has been developed for implementing and monitoring the projects under VVAP. Existing resources will be mapped (geo-tagged) in the OMS.

> **Pre-execution photo, geo tagging of the site and post-execution photo of the works/projects** /activities will be uploaded on the OMS. All the proposals under VVP will be submitted through the Digital VVP. The Ministries are also required to submit the Action Taken Reports (ATRs) related to Minister's visit through Digital VVP. All the stakeholders can see the status of their projects on Digital VVP.

13.7 Pradhan Mantri Gati Shakti and NIC's Bharat Map may be utilised prudently for better decision making and implementation of the project.

13.8 The State Governments /UT Administration shall develop an inventory of assets created under the VVP in border census villages/villages.

13.9 A display board will be kept at each VVP project site indicating that the work (giving details of the project, including physical and financial scope) is being done/has been done under the VVP, Government of India.

14. Audit of funds released under VVP:

14.1 Regular audits of the works taken up under VVP shall be done through C&AG by the State Government/ UT Administration concerned and the State Government/UT Administration shall furnish the observations of C&AG on expenditure under the head VVP after completion of the C&AG Audit to the Ministry of Home Affairs. Further, States/ UT shall furnish an Audit Certificate along with the observations raised in the Auditors report and compliance report of the State Government/ UT Administration to the Ministry of Home Affairs by 31st December each year.

14.2 Ministry of Home Affairs may carry out sample checking of the VVP accounts being maintained by the State/UT, to address any problems relating to the release of VVP funds, including reconciliation of accounts and to review the impact of utilisation of funds, as and when found necessary.

14.3 The State/UT shall ensure that interest/other earnings, if any, accrued/will be accruing against the amount released so far, as well as the amount to be released in future, the same (all interests/other earnings) shall be mandatorily remitted to the Consolidated Fund of India (CFI) [Refer Rule 230(8) of GFR-2017].

15. Other important guidelines:

15.1 In order to bring vibrancy to VVP villages, the outreach activities such as local fairs & festivals, sports meets, cultural events, tourist activities, Seema Darshan/Excursions/Quiz Competitions for school children, Health Camps, Animal Fairs, Krishi Mela, Van Mahotsavs shall be conducted by the States/UT/Central Ministries/Departments/BGFs.

15.2 Capacity Development may be carried out through online as well as onsite means, especially at the State level. Certain training programmes may also be carried out at the district level.

15.3 The design/specification/cost norms of any infrastructure proposed under the VVP, shall strictly comply with the norms already approved under the relevant scheme of the Government of India. However, the High-Power Committee constituted under the Chairpersonship of Union Home Secretary shall continue to have power to relax the norms of various Central Sector and Centrally Sponsored Schemes.

15.4 Maintenance cost of assets created shall be borne by respective State/UT Governments/Local Panchayat and the expenditure under the scheme VVP shall be of non-recurring nature only.

15.5 Construction/hiring/repair/modification of office space, official residences, hiring/purchase/repair of vehicles, any political activity or related arrangements, establishment or aiding of any private commercial unit/activities, which are in contravention of any existing law/statute/ rules or regulations and consumables such as furniture, office equipment including computers etc. shall not be permitted.

15.6 The State Government/UT Administration may also take steps to encourage PSUs and other private sector organization
to undertake CSR initiatives for funding infrastructure projects/activities. The State Government/UT Administration may also fill up gaps in infrastructure through funds available under CSR initiatives, DMF and CAMPA, etc.

16. Amendment in the Guidelines:

The Guidelines shall be subject to review/scrutiny from time to time to make the programme more effective, based on consultation with and inputs received from all the stakeholders. The Ministry may relax/modify any guidelines of the Vibrant Village Programme at the recommendation of the High-Powered Committee.

*****

Annexure

Terms of Reference of the High-Powered Committee on VVP

The Term of Reference for the High-Powered Committee on VVP will be as follows:

i. To relax the norms of coverage area of Central Sector Schemes and Centrally Sponsored Schemes for the villages covered under VVP;
ii. To relax the population criteria of Central Sector Schemes and Centrally Sponsored Schemes for the villages covered under VVP;
iii. To relax the norms of specified land or space requirements of Central Sector Schemes and Centrally Sponsored Schemes for the villages covered under VVP;
iv. To relax the cost norms of Central Sector Schemes and Centrally Sponsored Schemes in view of the specific geographical / climatic conditions for the villages covered under VVP;
v. To relax the eligibility criteria of beneficiary of Central Sector Schemes and Centrally Sponsored Schemes for the villages covered under VVP
vi. To relax the restrictions of Inner Line Permit (ILP), Protected Area Permit (PAP) / Restricted Area Permit (RAP) to facilitate movement of locals and tourists in the villages covered under VVP;
vii. To facilitate the forest clearance, wildlife clearance, Right-of-way clearances and clearances required from defence forces / security agencies for execution of works/projects in the villages covered under VVP;

The High-Powered Committee will have power to co-opt members depending upon the requirements for such relaxation.

*****

संख्या-12/26/2023-वीवीपी
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
सीमा प्रबंधन विभाग
*****

वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम (वीवीपी) दिशानिर्देश: 2023

1. उद्देश्य

1.1 वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम (वीवीपी) का उद्देश्य उत्तरी सीमा पर चार राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्र में चिन्हित गांवों का व्यापक विकास करना है, ताकि वहां रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाया जा सके जिससे उन्हें अपने मूल स्थानों पर रहने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके और सीमा सुरक्षा में सुधार हेतु इन गांवों से पलायन को रोका जा सके।

1.2 इस योजना का लक्ष्य उत्तरी सीमा पर स्थित, चिन्हित गांवों की, समुदाय-आधारित संगठनों, सहकारी समितियों, स्वयं सहायता समूहों, गैर-सरकारी संगठनों, कृषि विश्वविद्यालयों, कृषि विज्ञान केन्द्रों और राष्ट्रीय महत्व के तकनीकी विश्वविद्यालयों की भागीदारी से उद्यमिता को बढ़ावा देकर 'हब एंड स्पोक मॉडल' पर सम्मृदि केन्द्र के रुप में विकसित किया जायेगा। इसके हेतु इन गांवों में उद्यमिता को, युवाओं और महिलाओं के कौशल विकास के माध्यम से सशक्तिकरण और पारम्परिक ज्ञान विरासत को प्रोत्साहन करना है।

2. कवरेज

यह कार्यक्रम के तहत 4 राज्यों अर्थात् हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और एक संघ राज्य क्षेत्र अर्थात् लद्दाख के 19 जिलों के 46 ब्लॉकों में चिन्हित गांवों को कवर किया जाएगा। प्रारंभ में, प्राथमिकता के आधार पर विकास के लिए 662 गांवों का चयन किया गया है।

3. इस पहल के प्रमुख क्षेत्र: इस कार्यक्रम में निम्नलिखित 10 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा :

i. आर्थिक विकास - आजीविका सृजन
ii. सड़क संपर्क
iii. आवासन एवं ग्रामीण अवसंरचना
iv. पवन उर्जा के माध्यम से अक्षय उर्जा की उपलब्धता
v. सूचना तंत्र आधारित कॉमन सर्विस सेंटर सहित गांवों में दूरदर्शन और दूरसंचार कनेक्टिविटी की स्थापना
vi. पारिस्थितिकी तंत्र का पुर्न उत्थान
vii. पर्यटन और स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा देना
viii. वित्तीय समावेशन
ix. कौशल विकास और उद्यमिता
x. कृषि/बागवानी/औषधीय पौधों/जड़ी-बूटियों आदि सहित, आजीविका के अवसरों के प्रबंधन के लिए स्थानीय स्तर पर सहकारी समितियों का विकास।

यह कार्यक्रम चिन्हित गांवों में सामाजिक अवसंरचना के निर्माण के लिए विशेष रूप से, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं, विभिन्न मंत्रालयों की केंद्र प्रायोजित कल्याण योजनाओं और राज्य सरकारों की योजनाओं को संतृप्त करने पर भी ध्यान केंद्रित करेगा।

4. लक्षित परिणाम

4.1 समुदाय-आधारित संगठनों, सहकारी समितियों, स्वयं सहायता समूहों, गैर-सरकारी संगठनों, कृषि विश्वविद्यालयों, कृषि विज्ञान केन्द्रों और राष्ट्रीय महत्व के तकनीकी विश्वविद्यालयों की भागीदारी से उद्यमिता को बढ़ावा देकर, कौशल संवर्धन और पारंपरिक ज्ञान/विरासत के माध्यम से युवाओं और महिलाओं का सशक्तिकरण करके और स्थाई पर्यावरण अनुकूल कृषि व्यवसायों का विकास करके अपर्याप्त विकास वाले चिन्हित गांवों का विकास।

4.2 इसके परिणामस्वरुप (i) निर्जन गांवों का पुनर्वास (ii) प्रभावित गांवों में विस्थापित जनसंख्या को पहले के स्तर पर वापस लाना और (iii) चिन्हित गांवों में रहने के लिए लोगों के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन सुविधाओं का बढावा देना ।

5. कार्यान्वयन ढांचा:

राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन योजना के कार्यान्वयन के लिए संबंधित जिलों में नोडल विभाग नामित करेंगे। नामित विभाग का प्रमुख राज्य स्तर पर नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेगा। नोडल विभाग द्वारा एक सहायक नोडल अधिकारी नामित किया जायेगा। जिला स्तर पर जिले के उपायुक्त/जिला दंडाधिकारी नोडल पदाधिकारी होंगे।

6. जिला स्तरीय समिति (डीएलसी)

6.1 संबंधित उपायुक्त/जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में वीवीपी पर एक जिला स्तरीय समिति (डीएलसी) का गठन किया जाएगा, जो कार्यों/परियोजनाओं का चयन करेगी, जिसे जिला प्रशासन द्वारा ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर पर उचित तंत्र की मदद से प्रस्तावित किया जाएगा। केंद्र और राज्य सरकार की मौजूदा योजनाओं के अभिसरण के लिए जिला कन्वर्जेंस योजना (डीसीपी) तैयार की जाएगी। डीएलसी एक व्यापक वाइब्रेंट ग्राम कार्य योजना का **प्रस्ताव करेगा** जिसमें कई कार्य/परियोजनाएं शामिल होंगी। वाइब्रेंट विलेज एक्शन प्लान के साथ, उपायुक्त/जिला मजिस्ट्रेट राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग समिति (एसएलएससी) को निम्नलिखित प्रलेख प्रस्तुत करेगा:

i. सक्षम तकनीकी प्राधिकरण द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित तकनीकी व्यवहार्यता रिपोर्ट जिसमें यह प्रमाणित किया जाएगा कि परियोजना के प्रस्तावित डिजाइन और विशेषताएं, संबंधित योजना के मौजूदा मानदंडों के अनुरूप हैं और स्थानीय इलाके के लिए व्यवहार्य हैं।
ii. इकाई मूल्य के साथ सभी लागत घटकों का उल्लेख करते हुए अनुमानों का परियोजना-वार विस्तृत सारांश।
iii. प्रस्तावित कार्यों/परियोजनाओं के संबंध में गैर-अतिव्यापन प्रमाण पत्र।

6.2 डीएलसी यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रस्तावित परियोजनाओं में परिचालन और रखरखाव (ओ एंड एम) योजना अवश्य हो, प्रस्ताव प्रस्तुत करने में पूरी सतर्कता बरतेगा। उनके प्रभाव और कार्यक्रम के

तहत परिकल्पित उद्देश्यों के अनुरूप वाइब्रेंसी को बढ़ावा देने की संभावना के आधार पर प्रस्तावों पर कार्य शुरू किया जा सकता है।

7. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तरीय जांच:

7.1 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वाइब्रेंट विलेज एक्शन प्लान (वीवीएपी), जिसमें डीएलसी से प्राप्त कई परियोजनाएं/कार्य/प्रस्ताव होंगे, की जांच और उन पर उपयुक्त सिफारिशें करने के लिए राज्य के मुख्य सचिव/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक की अध्यक्षता में वीवीपी पर एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तरीय जांच समिति (एसएलएससी/यूटीएलएससी) का गठन करेंगे। राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन यह सुनिश्चित करेंगे कि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तरीय जांच समिति (एसएलएससी/यूटीएलएससी) में संबंधित सीमा सुरक्षा बलों (बीजीएफ) के प्रतिनिधित्व सहित, सभी स्टेकहोल्डर्स का प्रतिनिधित्व अवश्य हो। एसएलएससी/यूटीएलएससी वाइब्रेंट विलेजेज एक्शन प्लान (वीवीएपी) को मंजूरी देगा और अपनी सिफारिशों के साथ गृह मंत्रालय के सीमा प्रबंधन विभाग (डीओबीएम) को भेजेगा। वाइब्रेंट विलेज एक्शन प्लान निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ अग्रेषित किया जाएगा:

i. सक्षम प्राधिकारी द्वारा परियोजना-वार तकनीकी व्यवहार्यता प्रमाण पत्र।
ii. परियोजना-वार अनुमानों का विस्तृत सारांश जिसमें इकाई मूल्य के साथ सभी लागत घटकों का स्पष्ट उल्लेख हो।
iii. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एसएलएससी की बैठक के विधिवत हस्ताक्षरित कार्यवृत्त।

7.2 समिति यह सुनिश्चित करेगी कि परियोजनाओं की दरें मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार डिजाइन और विशिष्टताओं के आधार पर तर्कसंगत हों। विलेज एक्शन प्लान की सिफारिश करते समय, समिति दरों की तर्कसंगतता तथा संचालन और रखरखाव प्रावधान/योजना के आधार पर परियोजनाओं के प्रभाव का आकलन करेगी और इसे सुनिश्चित करेगी।

8. मंत्रालय स्तर पर जांच व्यवस्था तंत्र:

8.1 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों की जांच के लिए संयुक्त सचिव (बीएम-II), गृह मंत्रालय की अध्यक्षता में एक जांच समिति का गठन किया जाएगा। इस समिति में भारत सरकार के संबंधित मंत्रालय/विभाग के प्रतिनिधि सदस्य होंगे।

8.2 समिति राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत और उनके संबंधित एसएलएससी/ यूटीएलएससी द्वारा विधिवत अनुशंसित वाइब्रेंट विलेजेज एक्शन प्लान (वीवीएपी) की जांच करेगी। यह जांच समिति निम्नलिखित कार्य करेगी:

i. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त कार्य योजनाओं और परियोजनाओं की उनके प्रभाव, व्यवहार्यता, प्रस्ताव परिचालन व्यवहार्यता की तर्कसंगतता आदि के संबंध में जांच/विचार करेगी और परियोजना मंजूरी और निगरानी समिति को कार्य योजना की **सिफारिश** करेगी। उनकी सिफारिशें कुछ मानदंडों पर आधारित होंगी जैसे मौजूदा घर, जिला मुख्यालय से निकटता, पर्यटकों को आकर्षित करने की क्षमता और वाइब्रेंसी में सुधार, समुदायों द्वारा विभिन्न गतिविधियों को शुरू करने के लिए अवसंरचना सृजन की क्षमता और गांव का समग्र रणनीतिक महत्व।

ii. संबंधित मंत्रालयों/विभागों की सहमति के अनुसार **अभिसरण** के लिए भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों के परामर्श से परियोजनाओं की जांच करेगी।

iii. समिति भारत सरकार के संबंधित मंत्रालय/विभाग को अभिसरण के माध्यम से उनकी प्रासंगिक योजना के अन्तर्गत शुरू करने के लिए संशोधनों (यथा आवश्यक) के साथ परियोजनाओं की सिफारिश करेगी।

iv. वित्तीय और परिचालन व्यवहार्यता के आधार पर सिविल कार्यों के समेकन सहित प्रस्तावित योजना में **उपयुक्त संशोधनों की** सिफारिश करेगी।

v. दोहराव से बचने के लिए प्रस्ताव की जांच करेगी।

8.3 डिजिटल वीवीपी पर अभिसरण के अन्तर्गत चुनी गई सभी परियोजनाओं को संबंधित मंत्रालयों/विभागों को उनकी प्रासंगिक योजना के अन्तर्गत शुरू करने के लिए भेजा जाएगा। कोई भी परियोजना जिसे संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा शुरू नहीं किया जा सकता है, उसे वीवीपी के अन्तर्गत शुरू करने की सिफारिश की जा सकती है। ऐसे मामलों में संबंधित मंत्रालय व्यवहार्यता, लागत तर्कसंगतता, क्षेत्र की तकनीकी विशिष्टताओं की जांच कर सकता है और वीवीपी के अन्तर्गत ऐसी परियोजनाओं को शुरू करने लिए गृह मंत्रालय को सिफारिश कर सकता है।

जांच के आधार पर, जांच समिति गृह मंत्रालय की परियोजना जांच और निगरानी समिति (पीएसएमसी) को ग्राम कार्य योजना की सिफारिश करेगी।

9. परियोजना जांच और निगरानी समिति (पीएसएमसी)

9.1 *सचिव (सीमा प्रबंधन)* की अध्यक्षता में एक परियोजना मंजूरी और निगरानी समिति का गठन किया जाएगा । समिति की संरचना इस प्रकार है: -

i. सचिव (बीएम) - अध्यक्ष
ii. अपर सचिव और वित्त सलाहकार, गृह मंत्रालय - सदस्य
iii. संयुक्त सचिव (बीएम-I) - सदस्य
iv. संयुक्त सचिव (बीएम-II) - संयोजक

9.2 समिति निम्नलिखित पर विचार करेगी और सिफारिश करेगी:

i. जिला स्तरीय समिति से प्राप्त कन्वर्जेंस योजनाएँ।
ii. वीवीपी के अन्तर्गत वित्त पोषित की जाने वाली परियोजनाओं के साथ ग्राम कार्य योजना।
iii. जिला/राज्य द्वारा अवसंरचनात्मक कमी को पूरा करने के लिए वित्तपोषण
iv. विशिष्ट परियोजनाएं जैसे इको रिसॉर्ट, ध्यान, योग रिसॉर्ट और शिल्प गांव, आदि।

9.3 समिति भारत सरकार के संबंधित मंत्रालय/विभाग और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी प्रासंगिक योजना के तहत शुरू किए जाने हेतु संशोधनों (यथा आवश्यक) के साथ इसकी सिफारिश करेगी।

10. उच्चाधिकार प्राप्त समिति:

केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित की जाएगी जिसमें सचिव, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय और संबंधित मंत्रालय/विभाग के सचिव सदस्य के रूप में शामिल होंगे। समिति **विचारार्थ विषयों (अनुलग्नक)** के अनुसार जनसंख्या, भूगोल, आकार, आय आदि के संदर्भ में केंद्र प्रायोजित योजनाओं और केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के विभिन्न मानदंडों/मानकों पर विचार कर सकती है और उनमें छूट दे सकती है।

11. अभिसरण प्रक्रिया (मंत्रालयों की भूमिका)

11.1 भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा अभिसरण हेतु ली गई परियोजनाओं की उनकी प्रासंगिक योजना के मानदंडों के अनुसार जांच की जाएगी और परियोजनाओं को उनकी कार्य योजना में शामिल किया जाएगा। सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसी योजना के मानदंडों और दिशानिर्देशों के आधार पर आवश्यक अनुमोदन/स्वीकृति प्रदान की जाएगी। मंत्रालय इन परियोजनाओं के रणनीतिक महत्व और दुर्गम भौगोलिक इलाके को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावों की विधिवत जांच करेंगे। मंत्रालय परियोजनाओं से संबंधित आवश्यक स्पष्टीकरण के लिए संबंधित जिले से परामर्श कर सकते हैं। मंत्रालय/विभाग मौजूदा जीएफआर प्रावधानों का पालन करेंगे।

11.2 संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा डिजिटल वीवीपी पर अभिसरण के अन्तर्गत चुनी गई सभी परियोजनाओं की उनकी प्रासंगिक योजना के तहत जांच की जाएगी। मंत्रालय/विभाग, राज्यों/जिलों के परामर्श से, विशिष्ट कारण बताते हुए परियोजनाओं को स्वीकृत या अस्वीकार कर सकते हैं। फिर भी, यदि प्रशासनिक कारणों या किसी अन्य कारण से, ये मंत्रालय वाइब्रेंसी को बढ़ावा देने के लिए विशिष्ट परियोजनाओं के रूप में वीवीपी के तहत कठिन इलाके और कठोर जलवायु परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए गृह मंत्रालय को ऐसी परियोजनाओं की सिफारिश करने पर विचार कर सकते हैं।

12. निधियां जारी करना:

12.1 व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी वित्तीय दिशानिर्देशों/निर्देशों के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां जारी की जाएगी।

12.2 गृह मंत्रालय द्वारा अनुमोदन के बाद परियोजना के दायरे और इसकी लागत में किसी संशोधन पर विचार नहीं किया जाएगा। समय और लागत बढ़ने के मामलों में, राज्य इस अंतर के वित्तपोषण के लिए जिम्मेदार होगा। ऐसे मामलों में सभी आगामी परियोजनाएं इस दस्तावेज़ में 'निधि-आवंटन' और 'निधि जारी करना' शीर्षकों के तहत स्थापित दिशानिर्देशों के अनुरूप होंगी। हालाँकि, जिला/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र नए प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र हैं ।

12.3 व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के दिनांक 23.03.2021 के कार्यालय ज्ञापन के अनुरूप, , प्रत्येक राज्य सरकार प्रत्येक केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) को लागू करने के लिए सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) पर एक एकल नोडल एजेंसी (एसएनए) नामित करेगी। एसएनए राज्य सरकार द्वारा सरकारी व्यवसाय के संचालन के लिए अधिकृत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में राज्य स्तर पर प्रत्येक सीएसएस के लिए एक एकल नोडल खाता खोलेगा। सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के माध्यम से राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र को धनराशि जारी की जाएगी।

12.4 राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को वीवीपी के लिए एक अलग बजट मद और बैंक खाता रखना होगा। राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा मौजूदा जीएफआर मानदंडों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

12.5 राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि अब तक जारी की गई राशि के साथ-साथ भविष्य में जारी की जाने वाली राशि पर अर्जित ब्याज/अन्य कमाई, यदि कोई हो, को अनिवार्य रूप से भारत की संचित निधि (सीएफआई) जमा किया जाएगा।

12.6 बिना विधायिका वाले संघ राज्य क्षेत्र सीधे पीएफएमएस में काम करते हैं। वे यह सुनिश्चित करेंगे कि विक्रेताओं/लाभार्थियों को धनराशि "ठीक समय पर" जारी की जाए। यदि किसी एजेंसी को योजना दिशानिर्देशों के अनुसार धनराशि जारी की जानी है, तो एजेंसियों के पास धन जमा होने से बचने के लिए जीआरएफ 2017 के नियम 230 (vii) के प्रावधान का ईमानदारी से पालन किया जाएगा।

12.7 किसी पूरक वित्तपोषण की अनुमति नहीं होगी।

12.8 वाइब्रेंट विलेज की विशिष्टता और दुर्गम इलाके को ध्यान में रखते हुए, व्यवहार्यता और सक्षम तकनीकी प्राधिकरण की सिफारिश के अधीन हेड लोड कैरिज की अनुमति दी जा सकती है।

12.9 किसी भी निजी एजेंसी के लिए प्रत्यक्ष रूप से कोई धन उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। हालाँकि, संबंधित मंत्रालयों द्वारा अभिसरण योजनाओं के अन्तर्गत सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के अन्तर्गत वित्त पोषण को अनुमति दी जा सकती है।

13. निगरानी एवं समीक्षा

13.1 कार्यक्रम के परिणाम की तीन स्तरों पर समीक्षा की जाएगी अर्थात (i) ग्राम स्तर (ii) गृह स्तर और (iii) व्यक्तिगत लाभार्थी स्तर।

13.2 वीवीपी के प्रभावी और केंद्रित कार्यान्वयन के लिए, आवश्यकतानुसार विभिन्न स्तरों पर अर्थात केंद्र, राज्य, ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (पीएमयू) की स्थापना की जाएगी । कुल बजटीय आवंटन का 5% तक निर्धारित करके पीएमयू के लिए व्यय को पूरा किया जा सकता है।

13.3 वीवीपी के कार्यान्वयन के 02 वर्षों के बाद एक मध्यावधि समीक्षा की जाएगी जिसमें योजना की प्रगति और उसके बाद के परिणामों के आधार पर कार्यान्वयन फ्रेमवर्क में उपयुक्त संशोधन करने और योजना के कार्यकाल को बढ़ाने की छूट प्रदान करने, कवरेज क्षेत्र और वित्तीय संसाधनों में उपयुक्त वृद्धि पर विचार किया जाएगा।

13.4 माननीय कैबिनेट मंत्रियों द्वारा वाइब्रेंट गांवों के यात्राओं के आधार पर की गई टिप्पणियों पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा निष्पादित गतिविधियों और गांव के प्रोफ़ाइल को डिजिटल वीवीपी पर नियमित रूप से अपडेट किया जाएगा।

13.5 भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के अधिकारी वीवीपी गांवों का दौरा कर सकते हैं और अपनी यात्रा रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंप सकते हैं।

13.6 वीवीएपी के अन्तर्गत परियोजनाओं के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए एक ऑनलाइन प्रबंधन प्रणाली (ओएमएस) अर्थात **डिजिटल वीवीपी बनाया गया है।** ओएमएस में मौजूदा संसाधनों को मैप (जियो-टैग) किया जाएगा।

कार्यों/परियोजनाओं/गतिविधियों की निष्पादन पूर्व फोटो, साइट की जियो टैगिंग और निष्पादन के बाद की फोटो ओएमएस पर अपलोड की जाएगी। वीवीपी के अन्तर्गत सभी प्रस्ताव डिजिटल वीवीपी के माध्यम से प्रस्तुत किए जाएंगे। मंत्रालय भी, मंत्री की यात्रा से संबंधित कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) डिजिटल वीवीपी के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। सभी स्टेकहोल्डर्स डिजिटल वीवीपी पर अपनी परियोजनाओं की स्थिति देख सकते हैं।

13.7 परियोजना पर बेहतर निर्णय लेने और कार्यान्वयन के लिए प्रधान मंत्री गति शक्ति और एनआईसी के भारत के मानचित्र का विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग किया जा सकता है।

13.8 राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन सीमावर्ती जनगणना गांवों/गांवों में वीवीपी के अन्तर्गत बनाई गई संपत्तियों की एक सूची तैयार करेंगे।

13.9 प्रत्येक वीवीपी परियोजना स्थल पर एक डिस्प्ले बोर्ड रखा जाएगा जिसमें यह दर्शाया जाएगा कि यह कार्य (भौतिक और वित्तीय दायरे सहित परियोजना का विवरण देते हुए) वीवीपी, भारत सरकार के तहत किया जा रहा है/किया गया है।

14. वीवीपी के तहत जारी निधियों की लेखापरीक्षा:

14.1 संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के माध्यम से वीवीपी के तहत किए गए कार्यों की नियमित लेखापरीक्षा की जाएगी और राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र सीएंडएजी लेखापरीक्षा के पूरा होने के बाद वीवीपी शीर्ष के तहत व्यय पर सीएंडएजी की टिप्पणियां गृह मंत्रालय को प्रस्तुत करेंगे। इसके अलावा, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रति वर्ष 31 दिसंबर तक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में की गई टिप्पणियां और उन पर राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की अनुपालन रिपोर्ट के साथ लेखापरीक्षक का प्रमाण-पत्र गृह मंत्रालय को प्रस्तुत करेंगे।

14.2 गृह मंत्रालय राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा रखे जा रहे वीवीपी खातों की नमूना जांच कर सकता है, ताकि आवश्यकतानुसार खातों के मिलान और फंड के उपयोग के प्रभाव की समीक्षा सहित वीवीपी फंड जारी करने से संबंधित किसी भी समस्या का समाधान किया जा सके।

14.3 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र यह सुनिश्चित करेगा कि अब तक जारी की गई राशि पर और भविष्य में जारी की जाने वाली राशि पर अर्जित/भविष्य में अर्जित होने वाला ब्याज/अन्य कमाई, यदि कोई हो, उसे (सभी ब्याज/अन्य कमाई) अनिवार्य रूप से भारत की संचित निधि (सीएफआई) में जमा किया जाना चाहिए [जीएफआर-2017 का नियम 230(8) देखें] ।

15. अन्य महत्वपूर्ण दिशानिर्देश:

15.1 वीवीपी गांवों में वाइब्रेंसी लाने के लिए, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों/सीमा रक्षक बालों द्वारा स्थानीय मेलों और त्योहारों, खेल आयोजनों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, पर्यटन गतिविधियों, स्कूली बच्चों के लिए सीमा दर्शन/भ्रमण/प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताओं, स्वास्थ्य शिविर, पशु मेले, कृषि मेला , वैन महोत्सवों जैसी आउटरीच गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा।

15.2 ऑनलाइन के साथ-साथ ऑनसाइट माध्यमों से भी क्षमता विकास, विशेषकर राज्य स्तर पर किया जा सकता है, । जिला स्तर पर कुछ प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाए जा सकते हैं।

15.3 वीवीपी के अन्तर्गत प्रस्तावित किसी भी बुनियादी ढांचे के डिजाइन/विनिर्देश/लागत मानदंड, भारत सरकार की संबंधित योजना के अन्तर्गत पहले से ही अनुमोदित मानदंडों के अनुरूप ही होंगे। हालाँकि, केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में गठित उच्चाधिकार समिति के पास विभिन्न केंद्रीय क्षेत्र और केंद्र प्रायोजित योजनाओं के मानदंडों में छूट देने का अधिकार बना रहेगा।

15.4 निर्मित परिसंपत्तियों की रखरखाव लागत, संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों/स्थानीय पंचायत द्वारा वहन की जाएगी और वीवीपी योजना के अन्तर्गत व्यय केवल गैर-आवर्ती प्रकृति का होगा।

15.5 कार्यालय स्थान, आधिकारिक आवासों का निर्माण/किराए पर लेना/मरम्मत/संशोधन, वाहनों को किराए पर लेना/खरीदना/मरम्मत करना, कोई राजनीतिक गतिविधि या संबंधित व्यवस्था, किसी निजी वाणिज्यिक इकाई/गतिविधियों की स्थापना या सहायता करना, जो किसी भी मौजूदा विधि/संविधि/नियम या विनियम का उल्लंघन है और उपभोग्य वस्तुएं जैसे फर्नीचर, कंप्यूटर सहित कार्यालय उपकरण आदि की अनुमति नहीं दी जाएगी।

15.6 राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन बुनियादी ढांचा परियोजनाओं/गतिविधियों के वित्तपोषण के लिए सीएसआर पहल करने हेतु पीएसयू और अन्य निजी क्षेत्र के संगठनों को प्रोत्साहित करने के लिए भी कदम उठा सकता है। राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन सीएसआर पहल, डीएमएफ और सीएएमपीए आदि के अन्तर्गत उपलब्ध धन के माध्यम से अवसंरचनात्मक कमियों को भी पूरा कर सकता है।

16. दिशानिर्देशों में संशोधन:

कार्यक्रम को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सभी स्टेकहोल्डर्स से परामर्श और उनसे प्राप्त इनपुट के आधार पर दिशानिर्देशों की समय-समय पर समीक्षा/जांच की जाएगी। मंत्रालय उच्चाधिकार प्राप्त समिति की सिफारिश पर वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के किसी भी दिशानिर्देश में छूट प्रदान कर सकता है/संशोधन कर सकता है।

अनुलग्नक

वीवीपी पर उच्चाधिकार प्राप्त समिति के लिए विचारणीय विषय

वीवीपी पर उच्चाधिकार प्राप्त समिति के लिए विचारणीय विषय इस प्रकार होंगे:-

i. वीवीपी के अंतर्गत आने वाले गांवों के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं और केंद्र प्रायोजित योजनाओं के कवरेज क्षेत्र के मानदंडों में छूट देना;
ii. वीवीपी के अंतर्गत आने वाले गांवों के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं और केंद्र प्रायोजित योजनाओं के जनसंख्या मानदंडों में छूट देना;
iii. वीवीपी के अंतर्गत आने वाले गांवों के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं और केंद्र प्रायोजित योजनाओं की निर्दिष्ट भूमि या स्थान आवश्यकताओं के मानदंडों में छूट देना;
iv. वीवीपी के अंतर्गत आने वाले गांवों की विशिष्ट भौगोलिक/जलवायु परिस्थितियों के मद्देनजर केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं और केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लागत मानदंडों में छूट देना;
v. वीवीपी के अंतर्गत आने वाले गांवों के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं और केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लाभार्थियों के पात्रता मानदंड में छूट देना;
vi. वीवीपी के अंतर्गत आने वाले गांवों में स्थानीय लोगों और पर्यटकों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए इनर लाइन परमिट (आईएलपी), संरक्षित क्षेत्र परमिट (पीएपी)/प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट (आरएपी) के प्रतिबंधों में छूट देना;
vii. वीवीपी के अंतर्गत आने वाले गांवों में कार्यों/परियोजनाओं के निष्पादन के लिए आवश्यक वन मंजूरी, वन्यजीव मंजूरी, रक्षा बलों/सुरक्षा एजेंसियों से मार्गाधिकार मंजूरी और मंजूरी प्राप्त करने को सुविधाजनक बनाना;

उच्चाधिकार प्राप्त समिति ऐसी छूट के लिए आवश्यकतानुसार सदस्यों को सहयोजित कर सकेगी।

*****